विकलांग बच्चों के लिए संचालित किये जाने वाले विद्यालय के लिए मार्गदर्शिका

शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास का सबसे कारगर माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 21 'क जिसमें शिक्षा के मूलभूत अधिकार की गारंटी है और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा–26 को ध्यान में रखते हुए कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपयुक्त वातावरण में उपलब्ध करायी जानी है। जनगणना 2001 के मुताबिक 55 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति अनपढ़ है। यह बहुत बड़ा प्रतिशत है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा–26 के अनुसार "उनके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बालकों की ऐसी विद्यालयों तक पहुँच हो'।

वर्त्तमान में बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग द्वारा नेत्रहीन बालकों के लिए पटना, दरभंगा एवं भागलपुर में एक–एक विशेष विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय है, जहाँ पठन–पाठन के साथ–साथ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा अबतक नेत्रहीन बालिकाओं के लिए एक भी विद्यालय का संचालन नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में मात्र एक–दो स्वयंसेवी संस्थाएँ ही केन्द्रीय मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) से अनुदान प्राप्त कर कार्य कर रही है। इसी प्रकार मूक बधिर बालिकाओं के लिए मात्र पटना में एक मात्र आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

इस बिंदु पर ध्यान देते हुए विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के सात प्रमण्डलों यथा पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, तिरहुत, कोसी एवं पूर्णियाँ में "दृष्टि" नामक विशेष आवासीय विद्यालय नेत्रहीन बालिकाओं के लिए संचालित किये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसे दो वित्तीय वर्षो में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाना है। प्रमण्डलीय विस्तारीकरण के प्रथम चरण में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में दरभंगा, पूर्णियाँ, एवं तिरहुत प्रमण्डल के जिन जिलों में इस विद्यालय का संचालन किया जायगा वे निम्न है:–

1. दृष्टि–दरभंगा
2. दृष्टि–बॉका
3. दृष्टि–पश्चिम चम्पारण

इसी प्रकार मूक बधिर बालिकाओं के लिए वर्त्तमान में तिरहुत प्रमण्डल के पूर्वी चम्पारण जिला में एक आवासीय विद्यालय का संचालन किया जानां है, जिसे कोशिश–पूर्वी चम्पारण के नाम से जाना जायेगा। इन दोनों विद्यालय के संचालन हेतु सभी शर्त्तें समान होगी। मात्र शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता आवश्यकतानुरूप होगी तथा कुछ विशिष्ट उपकरण भी अलग हो सकते हैं।

(107)

2. <u>लाभार्थियों की पात्रता</u> :–

(i) बिहार का निवासी हो या दस साल से अधिक से बिहार में रह रही हो,

(ii) 40 प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिहीन/मूक–बधिर विकलांगता से ग्रसित हो,

(iii) आयु नामांकन के समय न्यूनतम छः वर्ष हो,

(iv) आय की कोई अधिसीमा नहीं होगी परन्तु 100 से अधिक लाभार्थियों के नामांकन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिक प्रतिशत वाले विकलांगता अर्थात गम्भीर विकलांगता को प्राथमिकता दी जायगी।

(v) प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 15 छात्राओं का नामांकन हो सकता है।

3. <u>नामांकन</u>:–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन प्रकाशित कर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। नामांकन हेतु संबंधित जिले के सहायक निदेशक की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :–

(i) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अध्यक्ष

(ii) विद्यालय संचालन हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्था के सचिव

(iii) विकलांग सदस्य (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)– सदस्य

(iv) इन विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक पढ़ाई होगी।

4. <u>स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हता</u>:–

(i) निबंधित न्यास (Trust) फाउन्डेशन या सोसाईटी एक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्था।

(ii) संस्था, ट्रस्ट, फाउन्डेशन निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा–52 के तहत निबंधित हो।

(iii) संस्था का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन हो।

(iv) संस्था का तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन हो (Annual Report)

(v) संस्थान के पास आधारभूत संरचना के रूप मकान, (अपना अथवा किराये क) उपलब्ध हो, अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

(vi) संस्थाओं के पास यथा सम्भव प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो अर्थात वे भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India) के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षित हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से निबंधित हो।

(vii) विकलांगता प्रक्षेत्र (RCI) विशेषकर दृष्टिहीन/विकलांगता में कार्य अनुभव (विस्तृत आलेख सहित)।

(viii) संस्थान आयकर अधिनियम के तहत निबंधित है या नहीं।

(ix) संस्था क्या पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है ?

(x) क्या संस्था के पास संभावित लाभार्थियों संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध है।

(xi) ब्रेल लाईब्रेरी (दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में)

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिस पर विभागीय चयन समिति के

माध्यम से उपयुक्त संस्था का चयन किया जायगा। चयनित संस्था का विभाग के साथ 11 (ग्यारह) माह के लिए अनुबंध किया जायगा।

5 (i) <u>शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता एवं पारिश्रमिक</u>:–

(A) "दृष्टि" विद्यालय हेतु शिक्षकों की योग्यता एवं पारिश्रमिक

क्रमांक	शिक्षकगण	संख्या/योग्यता	मासिक मानदेय	अनुमानित वार्षिक
1	प्रधानाध्यापक	01 (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर (ii) विशेष बी0एड0 (वी0आई0) में उत्तीर्ण (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता। (iv) दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में चार साल का कार्य अनुभव।	20,000/–	2,40,000/–
2	विशेष शिक्षक	04 (i) अंग्रेजी/गणित अथवा विज्ञान में स्नात्तक सहित विशेष बी0एड0 (वी0आई0) नें उत्तीर्ण । (ii) दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में दो साल का कार्य अनुभव। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता।	4 X 12000 = 48000/–	576000/–
3	सहायक शिक्षक	07 (i) हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान अर्थात भूगोल, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में स्नातक उत्तीर्ण। (ii) विशेष बी0एड0 (वी0आई0)/बी0एड0 इन स्पेशल एजुकेशन। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता।	7 x 10000= 70000/–	840000/–
4	कम्प्यूटर शिक्षक	01 (i) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। (ii) Screen Reading Software में Certificate Course (iii) दृष्टिबाधितों के साथ दो साल का कार्य करने का अनुभव।	9000/–	108000/–
5	क्राफ्ट शिक्षिका	01 (i) इंटरमीडिएट/12वीं उत्तीर्ण। (ii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता। (iv) दृष्टिबाधितों के साथ दो साल का कार्य करने का अनुभव।	5000/–	60000/–

6	शारीरिक शिक्षक (पी0टी0 शिक्षक) योग प्रशिक्षण सहित	(i) इंटरमीडिएट / 12वीं उत्तीर्ण। (ii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास थेरेपी / व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता। (iv) दृष्टिबाधितों के साथ दो साल का कार्य करने का अनुभव।	6000/–	72
		कुल	158000/–	1896000/–

नोटः–

(1) उपरोक्त अंकित सभी शिक्षण कर्मियों के लिए हिन्दी में भारती तथा अंग्रेजी में ब्रेल के पठन–पाठन की जानकारी रहने पर बाकी बिन्दु समान रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) प्रधानाध्यापक के पद हेतु विशेष एम0एड0 (दृष्टिबाधिता को प्राथकिता)

5 (i) <u>शिक्षकों / कर्मियों की योग्यता:–</u>

(B) मूक बधिर विद्यालय हेतु शिक्षकों की योग्यता

क्र0	शिक्षकगण	संख्या / योग्यता
1	प्रधानाध्यापक	01 (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर। (ii) विशेष बी0एड0 मूक बधिर में उत्तीर्ण। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता। (iv) मूक बधिर के क्षेत्र में चार साल का कार्य अनुभव।
2	विशेष शिक्षक	04 (i) अंग्रेजी / गणित अथवा विज्ञान में स्नात्तक। (ii) बी0एड0 (मूक बधिर) में उत्तीर्ण । (iii) भारतीय सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरापी, ईयर मोल्ड में ज्ञान अनिवार्य। (iv) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता।
3	सहायक शिक्षक	07 (i) हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान अर्थात भूगोल, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में स्नातक उत्तीर्ण। (ii) विशेष शिक्षा (मूक बधिर) हेतु दो वर्षीय डिप्लोमा। (iii) भारतीय सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरापी, ईयर मोल्ड में ज्ञान अनिवार्य। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास परिषद से निबंधन।
4	कम्प्यूटर शिक्षक	01 (i) 60 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। (ii) Screen Reading Software में Certificate Course (iii) मूक बधिर के साथ दो साल का कार्य करने का अनुभव।
5	सिलाई शिक्षिका	01
6	क्राफ्ट शिक्षिका	01 (i) इंटरमीडिएट / 12वीं 60 प्रतिशत अंकों के उत्तीर्ण। (ii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा। (iii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यकर्त्ता। (iv) मूक बधिरों के साथ दो साल का कार्य करने का अनुभव।
7	शारीरिक शिक्षक (पी0टी0 शिक्षक)	(i) इंटरमीडिएट / 12वीं 60 प्रतिशत अंकों के उत्तीर्ण। (ii) आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त पुनर्वास थेरेपी / व्यवसायिक

	x शिक्षण उपस्कर एवं अन्य			
3	किचेन सामग्री			
	i भोजन निर्माण उपकरण	1 सेट	30000	30000
	ii भोजन पड़ोसने का उपकरण	1 सेट	15000	15000
	iii शुद्ध पेय जल आपूर्ति यंत्र	2 सेट	16000	32000
	iv ईधन, सिलेन्डर (Diposit)	20	900	18000
4	आवासन हेतु गोदरेज का बेड एवम् गद्दा, तकिया, बेडसीट सहित	50	10000	500000
5	सफाई सामंग्री			
	i वाशिग मशीन	1	10000	10000
	ii आयरन	1	1500	1500
6	आवासन हेतु गोदरेज का बेड एवम् गद्दा, तकिया, बेडसीट सहित	50	10000	500000
	कुलः–		3,49,000	27,47,500

(ii) भवन (मकान भाड़ा)

क्र0	सामग्री	संख्या	दर	मासिक किराया	कुल वार्षिक लागत
1	मकान भाड़ा	9000/–वर्गफुट	4/– रू0 प्रति वर्ग फीट (खेल–कूद हेतु खाली स्थान छोड़कर)	9000 x 4= 36000	432000
			कुलः–		432000

(7) दैनिक/मासिक आवश्यकताः–

क्र0	सामग्री	संख्या	दर	कुल
1	भोजन	50	1200/–प्रति माह प्रति आवासी	720000
2	वस्त्र	50	2000/–प्रति वर्ष प्रति आवासी	100000
3	व्यक्तिगत साफ–सफाई साबुन, तेल, शैम्पू आदि 100/आवासिन /माह	50	100/–प्रति माह प्रति आवासी	60000
4	दवाई	50	500/–प्रति माह प्रति आवासी	300000
5	i साबुन, सर्फ ii फिनाईल, झाड़ू, पोछा, बाल्टी		1000 प्रति माह	12000
			कुलः–	1192000

कुल वार्षिक संभावित लागतः–

5 (i)+(ii)+6 (i)+(ii)+7 = 7041500/–(सत्तर लाख एकतालीस हजार पाँच सौ)

यदि 50 से अधिक छात्राओं का नामांकन होता है तो प्रति लाभार्थी निर्धारित दर के अनुरूप सहायक निदेशक राशि की मांग निदेशालय से करेंगे, जिसके उपरान्त उन्हें वांछित/अधियाचित राशि उपलब्ध करा दी जायगी।

(103)

8. <u>संचालन एवं अनुश्रवण पदाधिकारीः—</u>

इस योजना के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किया जायेगा। संचालन का तात्पर्य है विद्यालय की सभी गतिविधियों हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी कर चयनित स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराना। साथ ही विद्यालय में नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराना तथा नामांकन सुनिश्चित करवाना। संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना तथा संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (CRC) पटना के द्वारा तैयार किये गये पर्यवेक्षण प्रपत्र के अनुरूप विद्यालय संचालन का अनुश्रवण करेंगे। तत्संबंधी प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही में उनके द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय को प्रतिवेदित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह विद्यालय संचालन संबंधी मासिक प्रतिवेदन भी निदेशालय को अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पदाधिकारी चयनित स्वयंसेवी संस्था एवं विभाग के बीच समन्वयक के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

29/3/13

(अनिरूद्ध प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2 / सा0सु0–वि0यो0–03 / 2012 (खण्ड) स.क– 623 पटना, दिनांक– 29/3/13
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी / सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा, बाँका, पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/3/13
निदेशक

ज्ञापांक–2 / सा0सु0–वि0यो0–03 / 2012 (खण्ड) स.क– 623 पटना, दिनांक– 29/3/13
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/3/13
निदेशक